प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 69/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन अनुबंधों का रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य मामले विनियम, 2019 जारी किया।

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन अनुबंधों का रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य मामले विनियम, 2019 जारी किया है।

2. इंटरकनेक्ट विनियमों के रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदाताओं के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना है ताकि वे वाणिज्यिक विवरण सहित इंटरकनेक्शन अनुबंधों के विवरण की सूचना प्राधिकरण को दे सकें। इससे प्राधिकरण भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इंटरकनेक्ट का रजिस्टर रखने में समर्थ होगा। वर्तमान में, इंटरकनेक्ट अनुबंध (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) का रजिस्टर विनियम, 2004 लागू है।

3. प्रक्रिया को सरल बनाना, रिपोर्टों के डुप्लीकेशन से बचना और रजिस्टर की सूचना की उपलब्धता जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को आकार देने के लिए प्राधिकरण ने 23 मार्च, 2016 को 'इंटरकनेक्शन अनुबंधों का रजिस्टर (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) विनियम, 2016' जारी किया था।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों एवं नए विनियामक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के अनुसरण में बाजार में नए घटनाक्रम के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 22 अप्रैल, 2019 को ड्राफ्ट दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन अनुबंधों का रजिस्टर विनियम, 2019 जारी किया था। ड्राफ्ट विनियम पर प्राप्त टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसके बाद, दिल्ली में 10 जून, 2019 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों एवं नए विनियामक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के अनुसरण में बाजार में नए घटनाक्रम के आधार पर इन विनियमों को तैयार किया गया था।

4. विनियम का उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाना एवं विभेद को कम करना है। नए विनियम के अनुसार, सभी रिफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) को प्रत्येक प्रसारक और टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा भरना जरूरी है। प्रारंभ में, व्यवसाय को सुगम बनाने और सीमित संसाधनों वाले एमएसओ पर विनियामक भार कम करने के लिए एक लाख से कम औसत सक्रिय उपभोक्ता वाले वितरक को इंटरकनेक्शन अनुबंधों के विवरण की सूचना देने की बाध्यता से छूट प्रदान की गई है। नए विनियम में इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑनलाइन फाइलिंग की शुरूआत की गई है। प्राधिकरण ने निर्दिष्ट किया है कि अनुपालन अधिकारी के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने संबंधी उपबंध को छोड़कर, नए विनियम 120 दिनों में लागू हो जाएंगे। बीच की अवधि के दौरान, सेवा प्रदाता सुगम अनुपालन के लिए तैयारी कर सकेंगे।

6. ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन अनुबंधों का रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य मामले विनियम, 2019'' भादूविप्रा की वेबासाइट www.trai.gov.in. पर उलब्ध है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर +91–11–23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

जारी करने के लिए प्राधिकृत

(यू. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सलाहकार (एनएसएल)

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>